

न्यायालय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-4, जनपद अमरोहा।

सिविल अपील सं०-03सन् 2019

CNRNo-UPJB010009512018

भारत संघ आदि बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम आदि।

06.08.2022

—————:-पत्रावली पेश हुई। पुकार पर विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं किन्तु बार-बार पुकार पर समय करीब 1.00 पी.एम. तक अपीलार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण की ओर से अधिकांशतः स्थगन प्रा०पत्र प्रस्तुत किये जाते रहे हैं जबकि दिनांक 25.05.2022 व 02.07.2022 को अपीलार्थीगण को अंतिम अवसर दिया गया था लेकिन उसके बावजूद भी दिनांक 14.07.2022 व 21.07.2022 को अपीलार्थीगण की ओर से स्थगन प्रा०पत्र प्रस्तुत किया गया है और आज भी अपीलार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण को वाद चलाने में कोई अभिरुचि नहीं है बल्कि उक्त सिविल अपील को बिलंबित करना चाहते हैं। अतः अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में सिविल अपील खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

उक्त सिविल अपील अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में खारिज की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे।

(सूर्य प्रकाश सिंह)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-4

अमरोहा।